बीस रुपये TWENTY RUPEES

(168)

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

रिव्यू 3326-II-16

प्र. क्र. / /2016 रिव्यू

श्री राजेन्द्र जैन, अभि०
द्वारा आज 26.9.16 को
प्रस्तुत
26.9.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
62
26.9.16

1 मृत अनुसुइयादीन द्वारा वारिसान

अ महेन्द्र सिंह

ब गंगादीन सिंह

स रघुराजसिंह

द वासुदेव सिंह

ई नरेन्द्र सिहं पुत्रगण अनुसुइयादीन

निवासीगण ग्राम नैना तहसील रघुराजनगर

जिला सतना म0 प्र0 ....याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1 रामाश्रय तनय राममिलन कुशवाह

2 श्रीमति शान्ती पत्नी रामलखन कुशवाह

3 अनिल पुत्र रामलखन कुशवाह

4 अमित पुत्र रामलखन कुशवाह

ग्राम नैना तहसील रघुराजनगर जिला

सतना म0 प्र0

5 मृत रामसिया द्वारा वारिसान

अ रामनिवास

ब रामस्नेही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3326–दो/2016 **जिला सतना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–9–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1863–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 16–9–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निंकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (के0सी0 जैन) सदस्य	